United Forum of Unions & Associations of MTNL, Mumbai

यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियन्स एण्ड एसोसिएशन्स ऑफ एमटीएनएल, मुंबई

संलग्न यूनियन्स एण्ड एसोसिएशन्स

•Affiliated Unions & Associations•

टेलीकॉम एक्जिकिटिव असोसिएशन ऑफ एमटीएनएल, मुंबई
एमटीएनएल कर्मचारी फ्रंट, मुंबई
रिटायर्ड टेलीकॉम ऑफिसर्स वेल्फेयर असोसिएशन, मुंबई
संचार यूनियन ऑ नॉन- एक्जिकिटिव्ज ऑफ एमटीएनएल
ऑल इंडिया एससी/एसटी एम्प्लॉइज यूनियन, मुंबई
एमटीएनएल एससी/एसटी एम्प्लॉइज वेल्फेयर असोसिएशन, मुंबई
आरईयू एमटीएनएलपीडब्ल्युए एआईएससी/एसटीडब्ल्युए
Telecom Executives Association of MTNL, Mumbai
MTNL Karmachari Front, Mumbai
Retired Telecom Officers Welfare Association, MTNL, Mumbai
Sanchar Union of Non Executives of MTNL
All India SC/ST Employees Welfare Association
MTNL Republic Employees Union, Mumbai
MTNL SC/ST Employees Welfare Association, Mumbai

एमटीएनएल एक्जिकिटिव्ज असोसिएशन, मुंबई
एमटीएनएल वर्कर्स यूनियन, मुंबई
एमटीएनएल पेंशनर्स वेल्फेयर असोसिएशन, मुंबई
भारतीय महानगर टेलीफोन निगम एम्प्लॉइज यूनियन
एमटीएनएल एससी/एसटी एक्जिकिटिव्ज असोसिएशन, मुंबई
एमटीएनएल कर्मचारी यूनियन, मुंबई
एमटीएनएल स्टाफ यूनियन, मुंबई
MTNL Executives Association, Mumbai
MTNL Workers Union, Mumbai
MTNL Pensioners' Welfare Association, Mumbai
Bharatiya Mahanagar Telephone Nigam Employees Union
MTNLSC/ST Executives Association, Mumbai
MTNL Karmachari Union, Mumbai
MTNL Staff Union, Mumbai

9-ए, श्री संदेश, राजर्शी शाहू महाराज मार्ग, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400 069

9-A, Shree Sandesh Rajashri Shahu Maharaj Marg, Andheri (E), Mumbai - 4000069

सं. यूएफयूए/एमटीएनएल/मुंबई/एस.डॉट-सीएमडी-नोटिस/2012-13 दिनांक : 27.2.2013

सेवा में,

1. श्री आर. चंद्रशेखर,
   सचिव, दूरसंचार विभाग,
   संचार भवन,
   20, अशोक रोड,
   नई दिल्ली - 100 001

2. श्री ए. के. गर्ग,
   अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
   एमटीएनएल निगम कार्यालय,
   महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड,
   सीजाओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 100 003

माननीय महोदय,

विषय: नियम-37क में उपयुक्त संशोधन कर एमटीएनएल में विलयीत सभी श्रेणियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन सहित पेंशन लाभ देने के लिए एकल ट्रस्ट के रूप में पेंशन ट्रस्ट बनाने की पहल का विरोध

संदर्भ : 1) सचिव, दूरसंचार विभाग को संबोधित हमारा दिनांक 1.।.2013 का पत्र सं. यूएफयूए/एमटीएनएल/मुंबई/डॉट-आरएलसी/2012-13
2) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकए एमटीएनएल को संबोधित हमारा दिनांक 1.।.2013 का पत्र सं. यूएफयूए/एमटीएनएल/मुंबई/सीएमडी/2012-13

इस विषय में उपरोक्त पत्रों के अनुक्रम में हम यह पत्र लिख रहे हैं ।

दुर्भाग्य की बात है कि मध्यस्थता अधिकारी और सहायक श्रम आयुक्त (मध्य) III, मुंबई के साथ दिनांक 21.2.2013 को आयोजित मध्यस्थता बैठक में आपका कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था । इससे विवाद के निपटान के लिए सरकारी तंत्र के प्रति दूरसंचार विभाग/सरकार के कम सम्मान का पता चलता है ।

आप इस बात से पूर्णतया अवगत हैं कि ट्रस्ट के माध्यम से पेंशन दिए जाने का हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि तत्समय दूरसंचार विभाग के कर्मचारी के रूप में हमने जिन शर्तों पर एमटीएनएल में विलयन का विकल्प दिया था, उनमें न तो ट्रस्ट बनाने और न ट्रस्ट से पेंशन देने के बारे में कोई उल्लेख था । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5.7.1989 के कार्यालय ज्ञापन सं.4/18/87-पीएण्डपीडब्ल्यु (डी) तथा दिनांक 31.3.1995 के कार्यालय ज्ञापन सं.4/42/91-पीएण्डपीडब्ल्यु (डी), जिनके अनुसार पेंशन अधिशासित की जानी है, दोनों कार्यालय ज्ञापनों में, ट्रस्ट के प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है । दिनांक 1.6.2000 के कार्यालय ज्ञापन सं.4/14-2000-पीएण्डपीडब्ल्यु (आई) के अंतर्गत ट्रस्ट का नहीं, बल्कि फंड का उल्लेख पहली बार जून, 2000 में, अर्थात् ग्रुप सी एवं डी द्वारा एमटीएनएल में विलयन का विकल्प देने के काफी समय बाद, 30.9.2000 को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम-37क घोषित किए जाने के केवल 3 महीने पहले तथा बीएसएनएल के गठन के अगले दिन अर्थात् 1.10.2000 को किया गया था ।

दिनांक 5.7.1989 तथा दिनांक 31.3.1995 के कार्यालय ज्ञापनों को पढ़ने पर उसका सीधा और सुस्पष्ट अर्थ यह निकलता है कि एमटीएनएल में विलयीत और पेंशन की सरकारी योजना का विकल्प देने वाले सरकारी कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन सहित पेंशन संबंधी लाभ देने की ज़िम्मेदारी सरकार की है ।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अपर सचिव (पी) ने दिनांक 11.6.2004 की अपनी टिप्पणी (पृष्ठ-49) के अंतर्गत 30.9.2000 से पहले एमटीएनएल का विकल्प देने वाले कर्मचारियों की पेंशन की अपर्याप्त सुरक्षा संबंधी तथ्य को स्वीकार किया है ।

फाइल में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है :

“इस बात पर भी नज़र डालना व्यवहार्य है कि दिनांक 5.7.1989 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत पेंशन की सरकारी योजना का विकल्प देने वाले सरकारी कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन सहित पेंशन संबंधी लाभ देने की ज़िम्मेदारी सरकार की है ।”

उक्त फाइल की टिप्पणी, ट्रस्ट बनाने के नहीं, बल्कि फंड बनाने के बारे में सरकार के इरादे को लेकर एमटीएनएल का विकल्प देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के मन में उत्पन्न संदेह के कारण और आधार को निम्नानुसार रेखांकित करती है : ।

"4. जैसा कि टिप्पणी में बताया गया है, एमटीएनएल प्रदर्शन का बुनियादी कारण दिनांक 1.6.2000 को जारी किया गया कार्यालय ज्ञापन है, जिसमें स्थानांतरित कर्मचारियों को पेंशन देने की अंतिम जिम्मेदारी के साथ पेंशन फंड बनाने की आवश्यकता पहली बार दर्शाई गई है । इससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी (1989 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत) पेंशन फंड पर डाल रही है ।"

विदेश संचार निगम लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के गठन के साथ एमटीएनएल का गठन 1.4.1986 को किया गया था । लेकिन सरकारी कर्मचारियों को तुरंत अर्थात वर्ष 1990 में भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और विदेश संचार निगम लिमिटेड में विलयीत कर दिया गया था और उन्हें दिनांक 5.7.1989 के कार्यालय ज्ञापन सं.4/18/87-पीएण्डपीडब्ल्यु (डी) के अनुसार उस समय पेंशन लाभ मिला, अर्थात उन्हें 100% विनिमय का विकल्प देने का अवसर मिला । उस समय अधिकतर कर्मचारियों ने इसका लाभ उठाया । 15 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अर्थात वर्ष 2005 में उनकी परिवर्तित पेंशन बहाल कर दी गई थी, जो सरकार द्वारा दी जा रही है, जबकि एमटीएनएल में विलयीत दूरसंचार विभाग के सरकारी कर्मचारी इससे वंचित हैं । एमटीएनएल का गठन भले ही 1.4.1986 से हुआ हो, लेकिन विलयन तो 1.11.1998 से ही हुआ है । एमटीएनएल का विकल्प देने वाले अधिकारी और कर्मचारी 100% विनिमय का विकल्प देने से वंचित रह गए, क्योंकि उस समय तक, नियमों में संशोधन कर वर्ष 1995 में ही यह सुविधा समाप्त कर दी गई थी । विलयन में देरी के लिए, जिसके परिणामस्वरूप 100% विनिमय का विकल्प देने का अवसर प्रदान नहीं किया गया, एमटीएनएल का विकल्प देने वाले कर्मचारी जिम्मेदार नहीं हैं । यह विलंब तो सरकार के अपने कारणों से हुआ है । अत: एमटीएनएल का विकल्प देने वाले कर्मचारी तो भेदभाव की मार दोनों तरफ से झेल रहे हैं मारे गए, एक तो विदेश संचार निगम लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में विलयीत कर्मचारियों के समांतर 100% विनिमय लाभ नहीं मिल पाया, दूसरे जिस प्रकार बीएसएनएल के अपने साथी कर्मचारियों को दूरसंचार विभाग से पेंशन लाभ मिल रहे हैं, उस तरह पेंशन लाभ नहीं मिल रहे हैं । सरकार इस प्रकार के घोर भेदभाव की अनदेखी कैसे कर सकती है ।

पेंशन मामले में भेदभाव के खिलाफ और अपने प्रतिरूपी बीएसएनएल की तरह पेंशन पाने के लिए एमटीएनएल कर्मचारी दूरसंचार विभाग/सरकार के साथ पिछले 12 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं । एमटीएनएल कर्मचारी चाहते हैं कि पेंशन के मामले में तत्कालीन संचार मंत्री जी द्वारा एमटीएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जी को दिनांक 29.8.2002 को लिखे गए पत्र के माध्यम से उन्हें दिए गए आश्वासनों तथा दिनांक 11.8.2003 को संसद में एक प्रश्न के उत्तर में दिए गए आश्वासनों को अक्षरश: पूरा किया जाए । ये सब रिकॉर्ड के रूप में उपलब्ध हैं और नौकरशाही का इंद्रजाल इन तथ्यों को बदल नहीं सकता ।

क) संचार मंत्री जी का आश्वासन एमटीएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक को निदेशक (स्थापना) द्वारा दिनांक 29.8.2002 के पत्र सं. 40-29/2002-पेंशन (टी) के

अंतर्गत सूचित किया गया था, जो इस प्रकार है :

"इस मामले में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा वित्त मंत्रालय को लिखा गया था । आपको सूचित किया जाता है कि सैद्धांतिक रूप में इस बात पर सहमति हो गई है कि एमटीएनएल में विलयीत और सरकारी पेंशन की सरकारी योजना का विकल्प देने वाले सरकारी कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन सहित पेंशन संबंधी लाभ का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा । वास्तविक रूपात्मकता पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग द्वारा तैयार की जा रही है ।"

ख) राज्य सभा के 197वें अधिवेशन के दौरान अतारांकित प्रश्न सं. 241 पर संचार मंत्री जी का आश्वासन अवर सचिव के दिनांक 11.8.2003 के पत्र सं. 38-6/2002-पेंशन (टी) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था, जो इस प्रकार है :

"वर्तमान स्थिति यह है कि सैद्धांतिक रूप में इस बात पर सहमति हो गई है कि तत्समय दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के दो समूहों, एक एमटीएनएल में विलयन का विकल्प देने वालों और दूसरे बीएसएनएल में विलयन का विकल्प देने वालों के बीच कोई विभेदीकरण नहीं होगा । यह भी निर्णय किया गया है कि जो व्यवहार बीएसएनएल कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है, वैसा ही एमटीएनएल कर्मचारियों के साथ भी किया जाए, । वास्तविक रूपात्मकता पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग द्वारा तैयार की जा रही है । "

महासचिव, एमटीएन कामगार संघ द्वारा दिनांक 15.4.2011 को दायर और श्री आनंद परांजपे, संसद सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित याचिका की मूल याचना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो, संसद सदस्य और शिवसेना संसदीय पक्ष के नेता श्री अनंत गीते की अध्यक्षता में बनाई गई याचिका समिति के पास अभी भी लंबित पड़ी है, जो इस प्रकार है :

"आपका याचिकाकर्ता यह याचना करता है कि कृपया इस विषय में हस्तक्षेप करें और भेदभाव समाप्त करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम-37क में भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का नाम शामिल करके आवश्यक अधिसूचना जारी करने और दिनांक 29.8.2002 के कार्यालय ज्ञापन सं.40-29/2002-पेंशन (टी) के अंतर्गत दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए वित्तीय अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार को निर्देश दें ।"

तत्कालीन संचार मंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा करना सरकार की विश्वसनीयता का प्रश्न बन जाता है । याचना समिति के पास लंबित उपरोक्त याचना और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम-37क में दूरसंचार विभाग/सरकार द्वारा उपयुक्त संशोधन करने के प्रस्ताव के अनुसरण में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधित नियमावली, 2012 के नियम-37क के उप नियम (22), (23) और (24) में, बड़े अक्षरों में और रेखांकित निम्नलिखित शब्दों/वाक्यों का समावेश किया जाए :

(22) दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग के भारत संचार निगम लिमिटेड में **तथा दूरसंचार विभाग के दिल्ली टेलीफोन्स तथा मुंबई टेलीफोन्स के दूरसंचार प्रचालन के महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के रूप में** परिवर्तन की स्थिति में उप नियम (13 से 21) का कोई भी प्रावधान लागू न किया जाए, ऐसे मामले में पारिवारिक पेंशन सहित पेंशन लाभ सरकार द्वारा अदा किए जाएं ।

(23) उप नियम (22) में उल्लिखित पारिवारिक पेंशन सहित पेंशन लाभ के उद्देश्य के लिए सरकार को भारत संचार निगम लिमिटेड **तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड** से मिलने वाले पेंशन अंशदान की दर सहित व्यवस्था और तरीका और इस बारे में वित्तीय देयता को पूरा करने का तरीका सरकार निर्दिष्ट करे ।

(24) उप नियम (23) के अंतर्गत की गई व्यवस्था बीएसएनएल **और एमटीएनएल** के वर्तमान पेंशनधारकों और सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त माने गए और बीएसएनएल **अथवा एमटीएनएल** में विलयीत कर्मचारियों के लिए **उनके विलयन की तारीख से** लागू होगी ।

अत: आपसे पुन: निवेदन है कि :

1. निम्नलिखित कारणों से नियम-37क में उपयुक्त संशोधन करके एमटीएनएल के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन सहित सभी पेंशन लाभ का भुगतान करने के लिए एकल ट्रस्ट के रूप में पेंशन फंड बनाने की प्रक्रिया को रोक दें :

   क. एमटीएनएल में विलयन संबंधी शर्तों में पेंशन ट्रस्ट के रूप में पेंशन फंड बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था ।

   ख. एमटीएनएल के लिए निर्धारित, नियम-37क के अंतर्गत बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुरक्षा के लिए वास्तव में कोई सरकारी गारंटी नहीं है । दी गई गारंटी कृत्रिम है ।

   ग. ट्रस्ट के निवेश का मूल्य तथा संग्रह ठोस और स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रति वर्ष बीमांकित आधार पर निकाली गई देयता राशि के बराबर हो, ताकि वह भविष्य की पेंशन देयता को पूरा कर सके । यह एमटीएनएल की अपनी गणना के अनुसार, जैसा कि एमटीएनएल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखा में 31.3.2012 तक दर्शाया गया है, रू. 9,000 करोड़ से भी अधिक है । एमटीएनएल इतनk बड़k बोझ कैसे वहन करेगा?

   घ. नियम-37क इस प्रकार बनाया गया है कि इसे लागू किए जाने पर सरकार बड़े ही अनुचित तरीक़े से एक बार सीमित अंशदान देकर पेंशन का चिरस्थायी बोझ एमटीएनएल

के कंधों पर डाल देगी । पहले ही से घाटे में चल रहे एमटीएनएल पर यह बहुत बड़ा बोझा होगा ।

ङ. नियम-37क के प्रावधान पेंशन ट्रस्ट की वित्तीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एमटीएनएल को अपनी आखिरी साँस तक वित्तीय बोझ उठाने के लिए मजबूर कर देंगे । सरकार को पेंशनर्स के हितों की रक्षा के लिए उपाय करने होंगे, तब कहीं जाकर एमटीएनएल की वित्तीय बर्बादी को रोका जा सकता है । लेकिन कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों, एमटीएनएल में विलयीत और स्वयं एमटीएनएल द्वारा भर्ती किए गए, दोनों के भविष्य का क्या होगा । एमटीएनएल का हाल भी हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड जैसा ही होगा ।

2. ऊपर सुझाए गए अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियमावली, 2012 के नियम-37क के उप नियम (22), (23) और (24) में उपयुक्त संशोधन के लिए निष्ठापूर्वक और समयबद्ध प्रयास करें ।

यदि मध्यस्थता के दौरान दूरसंचार विभाग/एमटीएनएल पेंशन ट्रस्ट बनाने के कार्य को आगे बढ़ाना जारी रखता है तो एमटीएनएल मुंबई की यूनियनों और असोसिएशनों के युनाइटेड फोरम उचित ट्रेड यूनियन कार्रवाई करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी दूरसंचार विभाग/एमटीएनएल पर होगी । इस पत्र को इस संबंध में नोटिस माना जाए ।

सादर ।

भवदीय,

(जे. एस. यादव)	(जे. जे. मथायस)	(प्रदीप साळवे)
सीएस, टीम, मुंबई	सीएस, एमईए, मुंबई	जीएस, एमटीएनएल कर्मचारी फ्रंट
(बद्रीपाठक)	(एस. जी. पवार)	(एस. पी. पाण्डेय)
जीएस, आरटीओडब्ल्युए, मुंबई	जीएस, एमटीएनएल पीडब्ल्युए	जीएस, एमटीएनएल वर्कर्स यूनियन

United Forum of Unions & Associations of MTNL, Mumbai

(दिना आर. नाईक)
जीएस, संचार यूनियन ऑफ एमटीएनएल

(एस. जे. शेट्टी)
प्रेसिडेंट, एमटीएनएल कर्मचारी यूनियन

(दिलीप घायवट)
जीएस, एमटीएनएल रिपब्लिकन एम्प. यूनियन

(टी. एल. गायकवाड)
जीएस, एमटीएनएल एससी/एसटी एक्स.असो.

(एस. डी. काळबेंडे)
जीएस, एमटीएनएल एससी/एसटी एम्प. वेल्फे. असो.

(संतोष किळंजे)
जीएस, भारतीय एमटीएन एम्प. यूनियन

(संजय एस. गायकवाड)
प्रेसिडेंट, एमटीएनएल मुंबई एससी/एसटी एम्प. वेल्फेयर असो.

(बी. के. उपाध्याय)
जीएस, एमटीएन स्टाफ यूनियन, मुंबई

(आर. ए. राजापुरे)
कन्वीनर, जॉइंट फोरम ऑफ बीएसएनएल एण्ड एमटीएनएल यूनियन्स एण्ड असोसिएशन्स

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित :

1. माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी
2. माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जी
3. मंत्रिमंडलसचिव, भारत सरकार
4. सदस्य (सेवा), दूरसंचार विभाग
5. मुख्य श्रम आयुक्त (सी), दिल्ली
6. उप मुख्य श्रम आयुक्त (सी), मुख्यालय
7. निदेशक (मानव संसाधन), एमटीएनएल
8. निदेशक (वित्त), एमटीएनएल
9. निदेशक (तकनीकी), एमटीएनएल

10. कार्यकारी निदेशक, एमटीएनएल, मुंबई
11. मध्यस्थता अधिकारी एवं सहायक श्रम आयुक्त (सी) III
12. अध्यक्ष, यूएफओएम, दिल्ली
13. संयोजक, युनाइटेड फोरम दिल्ली एवं अध्यक्ष, जेएफबीएमयूए